न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

विवेक पिता बैजनाथ छिरोलया, R 3752-I-16

निबासी– ग्राम मढ़ियादो, तहसील हटा, जिला दमोह म0प्र0

.............**आवेदक**

वनाम

1– म0प्र0 शासन द्वारा अनु0 अधि0 हटा, ... **अनावेदक**

2– कमलेश पिता शालिगराम चौदा ,

3– रमेश पिता शालिगराम चौदा,

4– ग्राम पंचायत मड़ियादो द्वारा सरपंच,

..................**तरतीबी अनावेदक**

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी हटा, जिला दमाह द्वारा प्र0 क0 48ब/121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14/10/2016 से परिवेदित होकर कर रहे हैं, जो समय सीमा में है, माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। **उपरोक्त निगरानी में अनावेदक क0 02 से 04 से आवेदक को कोई अनुतोष नहीं चाहिये, वह मात्र तरतीबी अनावेदक हैं।**

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 04 द्वारा एक आवेदनपत्र तहसीलदार हटा, के न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत में करीब 100 सालों से कांजी हाउस संचालित थी, कुछ सालों से बंद है। जिस पर ग्राम के कुछ लोगों द्वारा कब्जा करके अपनी निजी भूमि बताकर कब्जा कर लिया है। अतः वाद भूमि से कब्जा हटवाया जावे। जिसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीवद्व करके रानि से प्रतिवेदन प्राप्त करने के वावद दिनांक 07/0.9/2016 को लेख किया गया। जिसके पूर्व ही दिनांक 06/09/2016 को रानि एवं पटवारी द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया गया। जिसे प्रस्तुत

राजेन्द्र पटेरिया (एड.)
बार रूम क. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि0- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451902

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3752 /I/2016 जिला – दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **विवेक छिरौल्या वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-11-16	1– मैने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हटा, जिला दमोह द्वारा प्र0 क0 48ब/121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14/10/2016 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राहयता पर तर्क श्रवण किये , निगरानी के साथ संलग्न सूची अनुसार दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया कि अनावेदक कमांक 04 द्वारा एक आवेदनपत्र तहसीलदार हटा, के न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत किया कि, ग्राम पंचायत में करीब 100 सालों से कांजी हाउस संचालित थी, कुछ सालों से बंद है। जिस पर ग्राम के कुछ लोगों द्वारा कब्जा करके अपनी निजी भूमि बताकर कब्जा कर लिया है। अतः वाद भूमि से कब्जा हटवाया जावे। जिसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीवद्व करके रानि से प्रतिवेदन प्राप्त करने के वावद दिनांक 07/0.9/2016 को लेख किया गया। जिसके पूर्व ही दिनांक 06/09/2016 को रानि एवं पटवारी द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया गया। जिसे प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 09/09/2016 को आदेश जारी करते हुये वादभूमि को शासन के कब्जा में लेकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी हटा के समक्ष निराकरण वावद भेज दिया। जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी हटा द्वारा भी प्रकरण प्रारंभ करके अपने अधिकारी क्षेत्र के वाहर जाकर आवेदकगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 से 68 का पालन किये बगैर ही प्रश्नाधीन आदेश पारित कर दिया। संपूर्ण कार्यवाही राजनैतिक दबाब में दुर्भावना वश जल्दवाजी में की गई है। सरपंच द्वारा दिनांक 06/09/2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया , नायब तहसीलदार के न्यायलाय में प्रकरण दिनांक 07/09/2016 को पंजीबद्व किया गया, जिसमें दिनांक	

(2) निगरानी प्रकरण क्रमांक 3752 /I/2016

07/09/2016 को रानि को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया , जबकि रानि एवं पटवारी द्वारा दिनांक 06/09/2016 को ही स्थल निरीक्षण करके स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं पंचनामा बनाकर दिनांक 06/09/2016 को ही नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में 09/09/2016 को आदेश पारित किया गया, जिसके आधार पर दिनांक 12/09/2016 को तत्काल ही वाद भूमि पर रखे आवेदक के टपरा को शासन के पक्ष में कब्जा में लेकर थाना में रखवा दिया गया तदुपरांत प्रकरण निराकरण वावद अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा भी आवेदकगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही मात्र प्रतिवेदन लेकर वाद भूमि पर से वेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों की पुष्टि होती है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06/09/2016 को तहसीलदार हटा के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 07/09/2016 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा रानि से प्रतिवेदन तलब करने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 09/09/2016 को आदेश पारित करके वादग्रस्त भूमि को शासन के पक्ष में जप्त करके थाना प्रभारी मड़ियादों की सुपुर्दगी में रखे जाने का आदेश पारित किया तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी हटा को निराकरण बाबद प्रेषित करने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी आदेश पत्रिका दिनांक 05/10/2016 में यह लेख करके कि प्रकरण में साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है प्रकरण तर्क वाव्द नियत कर दिया, तथा दिनांक 14/10/2016 को अंतिम आदेश पारित कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में जो दस्तावेज उपलब्ध थे, मात्र उनके आधार पर ही आदेश पारित कर दिया। जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया, कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 12/09/2016 का मौके पर जांच की गई। किन्तु रिकॉर्ड पर 12/09/2016 को मौका जांच करने वाला कोई दस्तावेज ना तो रिकॉर्ड पर है, ना ही दिनांक 12/09/2016 को आदेश पत्रिका ही लेख की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किस धारा के तहत कार्यवाही की गई है यह भी स्पष्ठ नहीं है। क्योंकि संहिता की धारा 248 में तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा जो जबाब प्रस्तुत किया गया है उसके आधार पर ना तो साक्ष्य एकत्रित की गई, ना ही उपरोक्त जबाब को क्यों अमान्य किया गया रिकॉर्ड पर है । संपूर्ण कार्यवाही पूर्व नियोजित तरीके से की गई है, क्योंकि दिनांक 06/09/2016 को पंचायत द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया, जबकि दिनांक रानि द्वारा एक दिन पूर्व ही दिनांक 05/09/2016 को संबंधितों को सूचनापत्र जारी करके दिनांक

06/09/2016 को मौके पर उपस्थित होने का सूचनापत्र जारी कर दिया तथा दिनांक 06/09/2016 को स्थल निरीक्षण करके दिनांक 06/09/2016 को ही अपना प्रतिवेदन तैयार करके नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जबकि आवेदनपत्र भी दिनांक 06/09/2016 को ही प्रस्तुत हुआ है। दिनांक 05/09/2016 को जारी सूचनापत्र भी आवेदक या अन्य लोगों पर तामील नहीं है, जो सूचनापत्र लेने से इंकार की टीप लगी है, उसके संबंध में पंचनामा नहीं बनाया गया है। दिनांक 06/09/2016 की कार्यवाही एक पक्षीय कार्यवाही है, उस पर भी आवेदक या अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं हैं, पंचनामा में भी मात्र सीमांकन करने का लेख है, सीमांकन संबंधी रिकॉर्ड संलग्न नहीं है। दिनांक 12/09/2016 को की गई कार्यवाही के पूर्व भी सूचनापत्र आवेदक को जारी होना नहीं पाया जाता है। मात्र फोन पर सूचना देना लेख है। आवेदक की ओर से एक रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र सन 1920 का प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उसका कहना है कि वाद भूमि उसके दादा द्वारा क्रय की गई थी। उसके स्वत्व व अधिपत्य की है वाद् भूमि आबादी भूमि है, जिस पर संहिता की धारा 248 के प्रावधान लागू नहीं होते है। ऐसा भी काई दस्तावेज संलग्न नही है जिससे यह स्पष्ट हो कि वाद भूमि कांजी हाउस के लिये आबंटित की गई है।।

4— अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो पटवारी, रानि या सरपंच के कथन लेख किये, ना ही आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत का पालन नहीं किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 से 68 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। जिन दस्तावेजों के आधार पर आदेश पारित किया गया है, उनको साक्ष्य में प्रदर्श नहीं कराया गया है । जिस कारण से वह साक्ष्य में ग्राहय ही नहीं है। ए0 आई0 आर0 1954 बॉम्बे 305 में उपरोक्त व्यवस्था प्रतिपादित की गई है। संपूर्ण कार्यवाही पूर्व नियोजित तरीके से किया जाना प्रतीत होती है। विधि एवं प्रक्रिया बिरूद्व आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदर एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्रमशः दिनांक 09/09/2016 एवं 14/10/2016 निरस्त किये जाते हैं। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मड़ियादों को आदेशित किया जाता है कि आवेदक का जब्तशुदा सामान तत्काल बापिस करके उसका कब्जा पूर्ववत पुर्नस्थापित कराया जाबे। उपरोक्तानुसार निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो। यह आदेश केवल आवेदक के हिस्से पर ही लागू होगा।

सदस्य